प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

24 मार्च 2021

संसद में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सीमा-शुल्क अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व विभाग- सीमा-शुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2020 की संख्या 17 आज संसद में प्रस्तुत की गई।

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए कानूनों को सही तरीके से लागू किया गया है, सीमा शुल्क के लेन-देन डेटा पर निर्भर करती है। सूचना व डेटा की सीमित उपलब्धता के कारण, 48 आयुक्तालयों में दौरा करके लेखापरीक्षा की गई।

इस रिपोर्ट में `10,909 करोड़ के राजस्व महत्व के 114 पैराग्राफ शामिल हैं। `63 करोड़ के धन मूल्य सहित 93 पैराग्राफ में, विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और `32 करोड़ की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

अभिलेख में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

I. वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 2,299 आपत्तियों और `3,296 करोड़ के राजस्व निहितार्थ सहित संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय प्राधिकरणों को 353 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की। इन लेखापरीक्षा आपत्तियों में से वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान पाये गये `260 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 113 लेखापरीक्षा आपत्तियों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, `10,649 करोड़ के *धनमूल्य की कारण बताओं नोटिस और अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा* को उजागर किया गया था।

(पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2 और 2.6.4)

II. लेखापरीक्षा ने *कारण बताओं नोटिस (*एससीएन) के जारी करने में खामियों, अधिनिर्णयन तक जाने वाली प्रक्रिया और कार्यविधि में कमियां, अधिनिर्णयन और समीक्षा आदेशों की उचित अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव और आंतरिक नियंत्रण और अनुवीक्षण में कमी को पाया। ₹10,649 करोड़ की राशि के मुल्य के साथ कुल 141 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जारी किया गया था।

विदेश व्यापार (विकास और विनियम) {एफटीडीआर} अधिनियम, 1992 में, एससीएन को जारी करने और उनके अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित समय-सीमा के प्रावधानों के न होने से चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों और

विकास आयुक्तों के प्रशासनिक प्राधिकारियों के पास विवेकाधिकार रहने दिया और सरकारी राजस्व की वसूली में परिहार्य देरी हुई।

(पैराग्राफ 3.1 से 3.5)

III. लेखापरीक्षा ने अधिसूचनाओं के गलत लागू होने, आयात किए गए माल के गलत वर्गीकरण और लागू उदग्रहणों और अन्य प्रभारों के गलत उदग्रहण के कारण लागू होने योग्य सीमा शुल्क के कम निर्धारण के 86 मामलों को देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹233 करोड़ का राजस्व जोखिम में था।

(पैराग्राफ 4.1 से 4.13)

प्रणालीगत मुद्दे: लेखापरीक्षा ने कुछ आयात मामलों में प्रणालीगत मामलों को देखा जिसमें आरएमएस ने निकासी अनुमत की, भले ही निर्धारित आयात शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। आरएमएस को लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित मामलों को संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन हो और एक बार बीई के सिस्टम के माध्यम से गुजरने पर लागू शुल्क स्वत: प्रभारित हो सके।

(पैराग्राफ 4.7.1 से 4.73, 4.83 और 4.8.5)

अनवरत अनियमितताएं: सेज़ में इकाइयों से लागत वसूली (स्थापना) प्रभारों की गैर-उगाही और पिछलें लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मंत्रालय को फ्लैग किए गए आयातों को गलत वर्गीकरण के दृष्टांतों का सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संगठनों में प्रतिवेदित किया जाना जारी रहा, जोकि सीबीआईसी के इन आश्वासनों के बावजूद था कि उनके क्षेत्रीय संगठनों को, ऐसे ही मामलों की सावधानीपूर्वक जांच के लिए संवेदनशील बनाया गया हैं।

(पैराग्राफ 4.12.1, क्रंम सं. 5 व 6 अनुबंध-9)

IV. 28 क्षेत्रीय प्राधिकरणों की नमूना लेखापरीक्षा में निर्धारित नियमों, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं और निर्यात बाध्यता को पूरा करने, निर्यात प्रोत्साहन देने के बारे में प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरणों को उजागर किया। ₹27.74 करोड़ का राजस्व उन निर्यातकों/आयातको से देय था, जिन्होंने निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत शुल्क का लाभ उठाया था, लेकिन निर्धारित बाध्यताओं/शर्तों को पूरा नहीं किया था।

रिपोर्ट की गई अनियमितताओं, विशेष रूप से निर्यात बाध्यता को पूरा न करना और एफटीपी के अनुसार निर्यातकों/आयातकों द्वारा अन्य शर्तों को पूरा न करने का मामला व्यापक प्रतीत होता है और इसे डीजीएफटी, नई दिल्ली और सीबीआईसी द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 5.1 से 5.3)